न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नियमित फौजदारी अपील संख्या 518/2025

रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी हथाई के पास, बोराज, पुलिस थाना गंज, अजमेर ।

– अपीलार्थी–अभियुक्त

बनाम

राज. सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

– प्रत्यर्थी–अभियोगी

अपील अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 27.10.2025 जो श्रीमती बबीता वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर, द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 10/2021 राज. सरकार बनाम रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका, अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, में पारित किया गया।

उपस्थित

1– श्री शीनू आचार्य व श्री रमेश चन्द वर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2– श्री जे.पी.शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 18.03.2026**

1. यह आपराधिक अपील अपीलार्थी–अभियुक्त रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 10/2021 (सी.आई.एस.नं.298/21) राज्य सरकार बनाम रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका, अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 27.10.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी–अभियुक्त को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित कर एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 20,000/– रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का दण्डादेश पारित किया।

2. अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपील पत्रावली व विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर की पत्रावली व आलौच्य निर्णय का अवलोकन किया गया।

Authenticated Document

3. अभियोजन कहानी के अनुसार इस प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रहराधिकारी बंकटसिंह ने रिपार्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 14.09.2020 को वह तत्कालीन प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल थाना अजमेर उत्तर मय EPF जाप्ता, अनुसंधान बाक्स व वाहन के दौराने रेड व गश्त जब नागफणी अजमेर से हथाई चौक बोराज अजमेर की ओर जा रहे थे, तब आम रास्ता बोराज पर सामने से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक वजनी प्लास्टिक का जरीकेन लेकर आता दिखा, जो उन्हें देखकर घबराकर अपने हाथ में पकडे प्लास्टिक जरीकेन को वहीं जमीन पर पटक कर, तेजी से भागते हुए बोराज, अजमेर की तंग गलियो में ओझल हो गया, जिसकी पहचान उनके द्वारा रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका पुत्र श्री जगदीश सिंह के रूप में की गई, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी दौराने रेडगश्त दबिश दी गई थी, जो अवैध शराब के धन्धे में लिप्त है। मौके पर स्वतंत्र गवाह बनने हेतु किसी के तैयार नहीं होने पर जाप्ते में से शक्तिसिंह व रामचन्द्र सिपाही को गवाह मामूर कर नियमानुसार कार्यवाही कर रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका द्वारा पटके प्लास्टिक जरीकेन के ढक्कन को खोलकर देखा व सूंघा व सुंघाया तो प्लास्टिक जरीकेन में हथकड शराब भरी मिली। बरामद शराब को एक 750 एम.एल. प्लास्टिक की खाली बोतल से नापतोल किया तो जरीकेन में 06 बोतल हथकड नाजायज शराब भरी बरामद हुई, जिसे जब्त कर, उसमें से नियमानुसार नमूना सैम्पल निकालकर, बरामद शराब व नमूनों को सील मोहर कर मार्का अंकित कर मौके पर कार्यवाही के पश्चात थाने पर आकर अभियोग संख्या 23/20–21 अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध विचारण न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–1 शक्तिसिंह, पी.डब्ल्यू–2 रामचन्द्र, पी.डब्ल्यू–3 ओंकारसिंह, पी.डब्ल्यू.4 अनिल व पी.डब्ल्यू–5 बंकटसिंह के बयान लेखबद्ध कराए गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श–पी–10 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराए गए।

6. अभियुक्त के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत बताया व कथन किया कि वह निर्दोष है एवं वक्त घटना मौके पर नहीं था। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश किये जाने का कथन किया, किन्तु कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की, ना ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

Authenticated Document

7. दोनो पक्षों को सुनकर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 27.10.2025 पारित किया गया। उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का निवेदन रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों, उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण विधिनुसार न करते हुए आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित किया है। परिवादी ने घटनास्थल के कोई फोटोग्राफ्स पेश नहीं किये हैं, ना ही मुलजिम के हाथ में जिस तथाकथित जरीकेन के बारे में कथन किये है, उससे फिंगर प्रिंट लिये हैं। उनका यह भी तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से घटनास्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके बावजूद भी परिवादी की ओर से किसी भी स्वतंत्र गवाह को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से तथाकथित जब्तशुदा शराब को घटनास्थल से गुजरने वाले आमजन को नहीं बताया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से कोई शराब बरामद नहीं की गई है। अपीलार्थी–अभियुक्त को परिवादी कैसे पहचानता है, इस बाबत कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन के गवाह पी.डब्ल्यू 5 बंकट सिंह ने अपीलार्थी–अभियुक्त की वक्त घटना दूरी 100 मीटर होने बाबत कथन किया है, जिससे यह स्पष्ट दर्शित होता है कि इतनी दूरी पर खड़े व्यक्ति को पहचानना सम्भव नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में पी.डब्ल्यू 5 बंकटसिंह ही जब्तीकर्ता/परिवादी है और उसके द्वारा ही प्रकरण का अनुसंधान किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में आये गम्भीर विरोधाभास को दृष्टिगत न रखते हुए, आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित किया है। गम्भीर विरोधाभास को दृष्टिगत रखते हुए, यदि निर्णय पारित किया जाता तो अपीलार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय व दण्डादेश अपास्त किया जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए, तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से पत्रावली पर आयी साक्ष्य के खण्डनस्वरूप कोई मौखिक एवं दस्तावेजी

Authenticated Document

साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे कि पेश की गई साक्ष्य का खण्डन होता हो। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा कारित अपराध से सभ्य समाज पर घोर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वर्तमान समय में इस प्रकार के अपराधों में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश में किसी भी प्रकार की वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष के तर्क–वितर्क पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 14.09.2020 को अपीलार्थी–अभियुक्त के कब्जे से 06 बोतल हथकड नाजायज शराब बरामद किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय ने बाद अन्वीक्षा अपीलार्थी–अभियुक्त को उपरोक्तानुसार आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया है।

12. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने मामलें को साबित करने के लिए जिन गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया हैं, उनमें मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू 5 बंकटसिंह है, जो कि प्रकरण में हथकड़ शराब का जब्तीकर्ता/परिवादी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा की गई फर्द जब्ती व अन्य कार्यवाही का समर्थन अपने मुख्य परीक्षण में किया है। **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि** घटना सुबह 8.00 बजे दिनांक 14.09.2020 की है। मेरे साथ उस दिन ओंकार सिंह, शक्ति सिंह, रामचन्द्र, आनंद सिंह व **मिश्रीलाल** थे। **जब हमने अभियुक्त को देखा हमारे व अभियुक्त के बीच करीबन 100 मीटर की दूरी थी। यह कहना सही है कि मैं इस केस में आईओ हूं। यह कहना सही है कि मैने अभियुक्त के हाथ से किसी तरह की बरामदगी नहीं की।** यह कहना सही है उक्त प्रकरण में सभी गवाह पुलिस वाले है कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। **यह कहना सही है कि जहां घटना हुई वह आबादी क्षेत्र है** लेकिन स्वतंत्र गवाह बनने को कोई तैयार नहीं हुआ। **यह कहना सही है कि घटना स्थल पर अभियुक्त ही हो इससे संबंधित न तो कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज न तो फोटो कॉपी नहीं ली जिससे उसकी पहचान हो सकें। यह कहना सही हैं कि जिस जरीकेन में शराब होना बता रहे हैं वह सिर्फ गवाहान पुलिस वालो ने देखा था किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पुष्टि नहीं की थी,** के कथन किये हैं।

13. इसी प्रकार प्रकरण के जब्तीकर्ता/परिवादी/अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 5 बंकट सिंह के वक्त घटना साथ पी.डब्ल्यू 1 शक्तिसिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में बंकटसिंह के समान ही कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब्तशुदा माल आज हाजिर अदालत नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत अथवा दबिश दी गई हो, तो उससे संबंधित**

दस्तावेज उक्त पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह सही है कि अभियुक्त का पहचान संबंधी दस्तावेज बाद में प्राप्त किया था। गवाह पी.डब्ल्यू 2 रामचन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में पी.डब्ल्यू 5 बंकटसिंह के कथनों की पुष्टि की है। **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस कथन को सही बताया कि वाक्या देख रहे लोगों को गवाहान नहीं बनाया। यह कहना सही है कि जब्तशुदा जरीकेन में शराब होने बाबत वहां उपस्थित आमजन को नहीं दिखायी गयी एवं ना ही उनसे कोई इसकी पुष्टि की गई। यह कहना सही है कि अभियुक्त के हाथ से किसी तरह का कोई शराब का जरीकेन हमने प्राप्त नहीं किया। जमीन पर जरीकेन अभियुक्त ने ही पटका हो, ऐसी कोई फोटोग्राफ पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पी.डब्ल्यू 3 औंकार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में** हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल, नमूना सैम्पल को पी.डब्ल्यू 5 बंकट सिंह द्वारा मुताबिक फर्द पेश करने पर उसके द्वारा नियमानुसार माल को मालखाना में दिनांक 14.09.2020 को जमा करने तथा दिनांक 15.09.2020 को नमूना सैम्पल अनिल कुमार कांस्टेबल को वास्ते एफ.एस.एल. देने बाबत साक्ष्य दी है। उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकें। **पी.डब्ल्यू 4 अनिल कुमार ने** हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यू 3 औंकार सिंह से दिनांक 15.09.2020 को वास्ते एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु प्राप्त करने, माल को उसी अवस्था में एफ.एस.एल.में जमा कराकर रसीद लाकर पेश करने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकें।

14. बहस अपील सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपील पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में पी.डब्ल्यू 5 बंकटसिंह द्वारा फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक वजनी प्लास्टिक जरीकेन प्रदर्श पी–1 के जरिये अवैध हथकड़ शराब छः बोतल जब्त करने की कार्यवाही के पश्चात अभियोग दर्ज किया है। उक्त अभियोग दर्ज करने के पश्चात प्रकरण के जब्तीकर्ता/परिवादी के द्वारा ही प्रकरण का अनुसंधान किया गया है, जो कि विधिनुसार नहीं है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाह पी.डब्ल्यू 5 बंकटसिंह, जो कि जब्तीकर्ता/परिवादी/अनुसंधान अधिकारी है, से विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने अपीलार्थी–अभियुक्त को 100 मीटर दूरी से देखने का कथन किया है। साक्षी के उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर की दूरी से देखकर पहचानना सम्भव नहीं है, विशेषकर जब गवाह पी.डब्ल्यू–5 बंकट

सिंह की आयु वक्त घटना लगभग 50 वर्ष की हो गयी थी। जब अपीलार्थी–अभियुक्त की पहचान 100 मीटर की दूरी से नहीं की जा सकती थी तो फिर किस आधार पर पी.डब्ल्यू 5 बंकट सिंह ने अभियुक्त को पहचाना इस बाबत कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं की गयी है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वक्त घटना पी.डब्ल्यू 5 बंकट सिंह के साथ जाब्ते में पी.डब्ल्यू 1 शक्तिसिंह व पी.डब्लयू 2 रामचन्द्र शामिल थे। अब यदि हम **पी.डब्ल्यू 1 शक्तिसिंह से विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह का अवलोकन करें तो जिरह में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त का पहचान संबंधी दस्तावेज बाद में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अन्य जाब्ते के गवाह पी.डब्ल्यू 2 रामचन्द्र से विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किये हैं कि साथ में पी.ओ. साहब श्री बंकट सिंह जी, ओंकार सिंह जी, मैं स्वयं, शक्तिसिंह जी, मिश्रीलाल व आनन्द जी थे, के कथन किये हैं। गवाह के उक्त कथनों के सन्दर्भ में यदि हम विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने जाब्ते में जिन गवाहान का नाम लिया है, उनमें से ओंकार सिंह को पी.डब्ल्यू 3 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है, उक्त गवाह ने जाब्ते के साथ होने बाबत किसी भी प्रकार की साक्ष्य न देते हुये केवलमात्र जब्तीकर्ता के द्वारा पेश किये गये माल, सैम्पल इत्यादि को मालखाने में जमा करने व उसके पश्चात दूसरे दिन माल रासायनिक जांच हेतु गवाह पी.डब्ल्यू 4 अनिल को सुपुर्द किये जाने की साक्ष्य दी है। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 2 रामचन्द्र ने जाब्ते में जिन गवाहान के नाम बताये गये हैं, उनमें से मिश्रीलाल व आनन्द सिंह को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है।** विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि घटनास्थल एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसके बावजूद भी प्रकरण में जब्तीकर्ता पी.डब्ल्यू 5 बंकट सिंह ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी को साक्षी के रूप में न होने बाबत जो कारण अंकित किये गये हैं, वे तर्कसंगत व युक्तियुक्त नहीं हैं। **पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रकरण में अपीलार्थी–अभियुक्त को लगभग 50 दिवस पश्चात गिरफ्तार किया गया है, विशेषकर यह ज्ञात होने के पश्चात कि अभियुक्त कहां पर निवास करता है।** अपीलार्थी–अभियुक्त ही अवैध शराब का परिवहन कर रहा हो, इस बाबत अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे कि यह साबित होता हो कि अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.09.2020 को समय 08.00 ए.एम. बजे आम रास्ता बोराज, पुलिस थाना गंज, अजमेर पर जरीकेन में 06 बोतल हथकड़ शराब अवैध रूप से परिवहन कर रहा था।

Authenticated Document

16. अतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण) अजमेर शहर, अजमेर द्वारा पारित किया गया निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 27.10.2025 में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व दण्डादेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

17. फलतः अपीलार्थी–अभियुक्त रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी हथाई के पास, बोराज, पुलिस थाना गंज, अजमेर की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 10/2021 राज. सरकार बनाम रामचन्द्र सिंह उर्फ कूका, में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 27.10.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी–अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के तहत दस हजार रूपये राशि का स्वयं का बंध–पत्र एवं इसी राशि की एक जमानत पेश कर तस्दीक करावें।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

18. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में प्रसारित किया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.18 17:03:18 +0530

Authenticated Document